समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

RNI No. MPHIN/2001/11140

वर्षः– 2019–20 पृष्ठः– 4 अंक :– 41 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

नागरिकता कानून : सद्भावना को चुनौती? – डॉ. किशन कछवाहा

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में भटकने वाले शरणार्थियों में दस हजार भारतीय भी हैं, अन्य 52 हजार हैं जो विभिन्न देशों में शरण के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में दो लाख शरणार्थी निवास कर रहे हैं, जिसके कारण भारत दुनियां का 25 वां मेजवान देश बना हुआ है। भारत में 1,09,000 तिब्बती शरणार्थी हैं, 65,700 श्रीलंकाई, 14,300 रोहिंग्या, 10,400 अफगानी 746 सोमाली और 919 अन्य। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आये 31,313 धर्मीय शरणार्थी हैं, जो उन, उन देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किये गये हैं। इनमें 25,447 हिन्दू तथा 5,807 सिख हैं, शेष ईसाई, पारसी और बौद्ध हैं।

भारत लम्बे समय से अत्याचार और प्रताड़ना का शिकार होने वाले अन्य देशों से आये लोगों को शरण देता आया है। पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम इस्लाम धर्मी देश हैं, यहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिन्दुओं, सिखों, ईसाईयों, जैन आदि धर्मियों के साथ धार्मिक कारणों से भीषण अत्याचार होता आ रहा है। इनकी महिलायें–लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, उनका अपहरण करा, धर्म परिवर्तन कराकर जबरिया ढंग से निकाह कर दिया जाता है, पुरूषों को धर्म–परिवर्तन के लिये बाध्य किया जाता है। इस्लाम स्वीकार न करने पर हत्या कर दी जाती है। ऐसे बहुत से लोग भारत आ गये हैं, किसी तरह लुक–छिपकर। इनके लिये एक मात्र शरण स्थल भारत ही है। इन्हें इस नागरिकता कानून द्वारा राहत प्रदान किया जाना है।

कतिपय वोट बैंक की नीति पर चलने वाले, निहित स्वार्थी राजनैतिक दल, अराष्ट्रीय तत्व, अवैध धुसपैठिये और उनके संरक्षक इस कानून का विरोध करते हुये हिंसक आन्दोलन चला रहे हैं। पुलिस पर पथराव, थानों, रेल्वे स्टेशनों और सरकारी इमारतों, बसों आदि में आग लगा रहे हैं। शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं। इस हिंसक वारदातों से इस आशंका को बल मिल रहा है कि इन वारदातों को सहन किया जाता रहा तो आगे चलकर ये अंतर्राष्ट्रीय क्या आम लोगों के घरों में, बस्तियों में भी आग नहीं लगायेंगे?

असल सवाल यह है कि आखिर देश हित की हर बात को मुस्लिम नेता विरोध के चश्में से देख कर मुस्लिम समाज को क्यों भ्रमित करते रहते हैं? बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है कि देशहित और मुस्लिम हित आपस में टकरा रहे हैं क्या? मुस्लिम देशों से प्रताड़ित किये गये हिन्दुओं को अगर भारत सरकार कानून बनाकर अपने देश में रहने के लिये नागरिकता प्रदान करती है तो मुस्लिम समाज या अन्य राजनैतिक दलों को तकलीफ क्या है? देश का विभाजन धर्म के आधार पर ही तो किया गया था। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध लम्बे समय से प्रताड़ित और पीड़ित हैं, तो वे जायेंगे कहां?

मुसलमानों के भारत में प्रताड़ित होने की कोई सम्भावना भी दूर–दूर तक नहीं है। लेकिन उक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यक भारत में ही सहायता–शरण की आशा कर सकते हैं, मुसलमानों के लिये तो विश्व में 100 देश है जहां वे पनाह पा सकते हैं। इस कानून से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को राहत मिल सकेगी। उक्त तीनों देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर 31.12.2014 तक भारत आने वाले गैर–मुस्लिमों को बिना वैध दस्तावेजों के भी भारत की नागरिकता देने के प्रावधान किये गये हैं।

नागरिकता संशोधन कानून पर दुष्प्रचार कर कांग्रेस सहित कतिपय विपक्षी दलों ने अपनी वोट बैंक की छुद्र राजनीति को ध्यान में रखते हुये देश को आग में झोंकने की कोशिश की है। अब मध्यप्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री स्वयं पैदल मार्च निकालकर झूठा प्रचार करने निकल रहे हैं। क्या यह मुस्लिम समुदाय को भड़का कर वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत ध्रुवीकरण करने की घिनौनी साजिश नही है?

नागरिकता कानून(सी.ए.ए.) को लेकर देश के सात राज्यों में उभरे विरोध की कमान कांग्रेस पार्टी ने ही थाम रखी है। कहा जा रहा है कि देश की एकता के लिये लड़ाई लड़ी लायेगी। राजस्थान, मध्यप्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि वे अपने राज्य में उसे लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली, अहमदाबाद, मुम्बई, बैंगलूरू, हैदाराबाद, कोलकाता, गोहाटी आदि में प्रदर्शन हुये हैं। कुल देश के सात राज्यों में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन है। बहुत से डर भ्रम, आशंकाओं और वहम के कारण उपजे हैं।

उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुयी हिंसा के साजिशकर्ताओं के नाम उजागर होने लगे हैं। स्टूडेंटस मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) और रिहाई मंच के बाद अब पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ.आई.) की भूमिका भी सामने आ गयी है। इस सिलसिले में पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष वसी म अहमद और उसके दो साथियों नदीम और अशफाक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

संसद में जिसे कानून बना दिया गया है, उसे ये गैर जिम्मेदार संविधान की शपथ लेकर गद्दियों पर बैठने वाले गैर कानूनी बताकर क्या संविधान का अपमान नहीं कर रहे हैं? इस धरना–प्रदर्शन या मार्च द्वारा भारत की सम्प्रभुसत्ता को चुनौती दी जा रही है। यही इनकी संविधान की शपथ पर भी प्रश्न चिह्न खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष के पास विरोध के लिये कोई मूलमुद्दा ही नहीं है, वह धारणा के आधार पर सरकार का विरोध कर रहा है।

आजादी के पहले भी यहूदी और पारसी समुदाय के साथ उत्पीड़न हुआ था और धार्मिक भेदभाव के आधार पर अत्याचार हो रहा था तब भी उन्हें भारत में जगह दी गयी थी। कांग्रेस के नेताओं ने हिन्दुओं को भारत विभाजन के अवसर पर भी यह मौखिक संदेश दिया था कि वहां उनके जीवन और धर्म की सुरक्षा होगी, उन पर कोई अत्याचार नहीं होगा। लेकिन वह 70 साल में भी उस आश्वासन को पूरा करने में असफल रहे। मनमोहन सिंह ने सन् 2003 में और माकपा ने सन् 2012 में ऐसे कानून बनाये जाने की वकालत की थी। पूरी तरह से आम सहमति को देखकर ही यह कानून बनाया गया था।

भारत में बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग है जो पश्चिम के बद्धिजीवियों से खाद–पानी लेता है और अपनी नापसंदगी को लेकर दुष्प्रचार में जुट जाता है। ऐसे ही तत्वों हिंसात्मक आन्दोलनों को हवा देकर राष्ट्र की छवि को धूमिल करते हैं। यह सरकार के खिलाफ नहीं वरन् देश को चुनौती देने वाला विरोध बन गया है।

भारत ऐतिहासिक रूप से उन सभी को शरण देता रहा है, जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हैं। राज्य विहीन और अधिकार विहीन लोगों को नागरिकता देने का मोदी सरकार का कदम सराहनीय है। भारत ने इस कदम से अपनी वैश्विक नैतिक जिम्मेवारी का निर्वाह किया है।

दिव्य संत

देवरहा बाबा

पूज्य देवरहा बाबा वैसे तो किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाते थे, लेकिन प्रयागराज कुम्भ में आयोजित धर्म संसद में उपस्थित रहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और इसी धर्म संसद में उनकी उपस्थिति में ही प्रत्येक मंदिर और प्रत्येक ग्राम में श्रीराम मंदिर निर्माण हेतु शिलापूजन के कार्यक्रम की घोषणा हुयी।

पूज्य देवरहा बाबा ने एक पत्रकार से कहा था, ''विश्व हिन्दू परिषद जो काम कर रही है, वह हमारी आज्ञा से कर रही है। उसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं है। मंदिर कायदा यानी कानूनी प्रक्रिया द्वारा सबके सहयोग से बनेगा। यह राष्ट्र पहले से ही हिन्दू राष्ट्र है। यहाँ राम–कृष्ण का अवतार हुआ। हिन्दू सबसे प्रेम करता है। विश्व कल्याण के लिये श्रीराम मंदिर भूमि पर मंदिर निर्माण होगा। इसमें कोई विघ्न नहीं डाल सकता, यह हमारा आशीर्वाद है।''

''भारत भूमि की दिव्यता का यह प्रमाण है कि इसमें भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण ने अवतार लिया है। यह देवभूमि है, इसकी सेवा, रक्षा तथा संवर्धन करना प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है।'' – देवरहा बाबा

देवरहा बाबा का जन्म कब और कहां हुआ, उनके माता–पिता और उनका वास्तविक नाम क्या था, उनकी शिक्षा कहां हुई, उनके गुरू कौन थे इत्यादि के विषय में भिन्न–भिन्न मत हैं। हिमालय में वर्षों तक साधना करने के पश्चात वे पूर्वी उत्तरप्रदेश के देवरिया नामक स्थान पर पहुंचे तथा सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डाल दिया। वहां वर्षों निवास करने के कारण उनका नाम देवरहा बाबा पड़ा। कुछ लोगों के अनुसार क्योंकि नदी का तटवर्ती क्षेत्र देवरहा कहलाता है इसलिये इनका नाम देवरहा बाबा पड़ा। जीवनभर निर्वस्त्र रहने वाले बाबा धरती से 12 फुट ऊँचे लकड़ी से बने मचान में रहते थे।

प्रयागराज में सन् 1889 में महाकुम्भ में विश्व हिन्दू परिषद के मंच से बाबा ने कहा था, ''दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गौरक्षा, गौसेवा के बिना सम्भव नहीं होगी। गौहत्या का कलंक मिटाना आवश्यक है।'' वे जनसेवा तथा गौसेवा को सर्वोपरि धर्म मानते थे। पूज्य बाबा ने योग विद्या के जिज्ञासुओं को हठयोग की दसों मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया। वे ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि आदि की साधना पद्धतियों की जब विवेचना करते तो बड़े–बड़े धर्माचार्य उनके योग संबंधी ज्ञान के समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। उन्हें वेद, पुराण, गीता, रामायण तथा मनुस्मृति आदि ग्रंथों का अच्छा ज्ञान था। अनेक विदेशी भाषाओं के ज्ञाता बाबा विदेशी शिष्यों से उन्हीं की भाषा में बात करते थे। वृक्षों–वनस्पतियों के संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवन के प्रति उनका अनुराग जगजाहिर था। बाबा ने जीवन भर अन्न ग्रहण नहीं किया, वे सिर्फ पानी, दूध, शहद और श्रीफल के रस का सेवन करते थे। देवरहा बाबा को खेचरी मुद्रा पर सिद्धि प्राप्त थी, जिससे उन्हें अपनी भूख और आयु पर नियन्त्रण प्राप्त था। वे तीस मिनट तक पानी में बिना सांस लिये रह सकते थे।

देवरहा बाबा सदा भूखों को भोजन, वस्त्रहीन को कपड़ा, अशिक्षित को शिक्षा और मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जीवों को चिकित्सा देने की बात कहते थे। उन्होंने गरीब कन्याओं के विवाह, विधवाओं के लिये सेवा प्रकल्प चलाने और नदियों को स्वच्छ करने के निर्देश अपने शिष्यों को दिये।

शीघ्र ही देवरहा बाबा एक सिद्ध महापुरूष के रूप में प्रसिद्ध हो गये। बाबा के दर्शन के लिये प्रतिदिन विशाल जनसमूह उमड़ने लगा। वे मचान पर आसीन होकर सबको अपने हाथ या पैर से स्पर्श कर आशीर्वाद देते थे। अलौकिक और चमत्कारिक देवरहा बाबा के भक्तों में अनेक विशिष्ट लोग भी थे। जयपुर के राजा मानसिंह, नेपाल के राजा महेन्द्र प्रताप सिंह, इंग्लैण्ड के किंग जॉर्ज पंचम, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू, मदनमोहन मालवीय, पुरूषोत्तमदास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, अटलबिहारी बाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉ. सम्पूर्णानन्द जैसी हस्तियां अपनी समस्याओं के समाधान व मार्गदर्शन के लिये बाबा की शरण में जाती थीं।

लोगों का मानना है कि बाबा एक अवतारी पुरूष थे। कुछ लोग बाबा की आयु 250 वर्ष, कुछ 500 वर्ष, कुछ 900 वर्ष तक मानते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक बैरिस्टर के अनुसार उनका परिवार सात पीढ़ियों से बाबा का आशीर्वाद लेता रहा था। बाबा प्रायः वृन्दावन, प्रयाग, काशी, देहरादून और हरिद्वार की यात्रा किया करते थे। बाबा को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। एक बार विश्व हिन्दू परिषद् के अध्यक्ष अशोक सिंघल उनके दर्शन को गये। उन दिनों राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। अशोक जी ने उनसे इस बारे में पूछा, तो बाबा बोले, ''बच्चा, चिन्ता मत कर। लाखों लोग आयेंगे और इसकी एक–एक ईंट उठाकर ले जायेंगे। राम मंदिर के निर्माण को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी।'' किसी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर 6 दिसम्बर 1992 को सचमुच ऐसा ही हुआ, जब देशभर से आये लाखों रामभक्त कारसेवक विवादित ढाँचे की ईंटें तक उठाकर ले गये।

बाबा ने वृन्दावन में यमुनातट पर स्थित मचान पर चार वर्ष तक साधना की। लाखों लोगों के प्रेरणास्त्रोत पूज्य देवरहा बाबा ने यहीं पर सन् 1990 की योगिनी एकादशी के पावन दिन निर्वाण प्राप्त किया।

–डॉ0 कपिल अग्रवाल

चीन पर जरूरी है आर्थिक चोट

जब से कश्मीर में अनुच्छेद–370 हटाया गया है, पाकिस्तान इस तरह कुलबुला रहा है जैसे किसी कुत्ते की पूंछ गाड़ी के नीचे आ गई हो। जब कोई कुत्ता भौंकता है तो उसका साथी भी कुछ–कुछ उसी तरह चिल्लाने लगता है। ठीक यही हाल आजकल चीन का है, जो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है। पाकिस्तान को दर्द तो समझ में आ रहा है जो पिछले 75 सालों से उसने अपने आवाम को कश्मीर के जिस हसीन सपने को दिखा–दिखा कर बरगला कर रखा था वही जनता अब अपने सियासतदानों से हिसाब मांग रही है। विदेशों में बसे पाकिस्तानी कभी अपने यूएनओ की प्रतिनिधि पर आरोप लगा रहे हैं तो कभी इंग्लैण्ड में पाकिस्तान के भूतपूर्व रेल मंत्री पर अंडे फेंके जा रहे हैं।

चीन का मामला थोड़ा अलग है। पाकिस्तान हर बार अंतर्राष्ट्रीय थप्पड़ खा कर रोता हुआ चीन के पास जाता है। चीन उसे दिलासा देता है। चीन को भी पता है पाकिस्तान थप्पड़ के लायक ही है लेकिन चीन शातिर पड़ोसी की तरह और अपना बड़प्पन दिखाने के लिए यूएनओ की पंचायत करवा देता है। बंद दरवाजे की पंचायत से भी निराश होकर लौटना पड़ता है।

चीन पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मुद्दों पर इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर में चीन द्वारा 'चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' के निर्माण के लिए बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया हुआ है। भारत द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर संसद में भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। चीन को पाकिस्तान की चिंता नहीं बल्कि अपने निवेश की चिंता है। अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक द्वंद के कारण उसके निर्यात सिकुड़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था की विकास दर 6प्रतिशत पर आ चुकी है, ऐसे में अगर चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा खटाई में पड़ गया तो आर्थिक महाशक्ति बनने का चीन का सपना टूट सकता है।

चीन ऐसा पंच है जिसका अपना मानवाधिकार का रिकॉर्ड गम्भीर है। चीन द्वारा अपने क्षेत्र में मुसलमानों को उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और मजे की बात तो यह है कि इस्लामिक देश पाकिस्तान को इससे कोई भी शिकायत नहीं है। चीन और पाकिस्तान की धार्मिक अल्पसंख्यक जनता के अधिकारों के हनन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में भी निंदा की गई है।

चीन द्वारा प्रशासित क्षेत्र हांगकांग पिछले कई महिनों से सुलग रहा है। इंग्लैण्ड के अधीन 99 साल तक पट्टे पर रहने के बाद

शेष भाग पृष्ठ क्र. 4 पर

भारतीय भाषाओं की प्राण शक्ति है संस्कृत

''आज विश्व के सभी शक्तिसम्पन्न देश अपनी भाषा के माध्यम से ही सिरमौर बने हैं। भाषा को खोने से केवल भाषा ही समाप्त नहीं होती, अपितु संस्कृति समाप्त हो जाती है। संस्कृति विहीन राष्ट्र प्राण हीन हो जाता है।''

भारत की प्रायः सभी भाषाएं संस्कृत से अनुप्रमाणित हैं। इसलिए भाषाई विविधता के बाद भी संस्कृत के प्रति देश में एक स्वर है। सभी भाषाओं में संस्कृत शब्दों का प्राचुर्य है। दक्षिण भारत की सभी भाषाओं में उच्चारण शैली संस्कृत भाषा के समान है। मलयालम, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, उड़िया बांग्ला आदि सभी भाषाओं में संस्कृत शब्द बहुतायत में हैं। मलयालम संस्कृत प्रधान साहित्य है। मलयालम साहित्य के ग्रंथों में वाल्मीकि रामायणं, वैराग्य चन्द्रोदयम, पाताल रामायनम, भीष्मोपदेशम आदि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं।

मलयालम का प्रथम ग्रंथ 'उन्नीयच्ची चरितं' संस्कृतनिष्ठ भाषा में है। तमिल का प्रथम ग्रंथ 'तोलकप्पयम', तेलुगू का प्रथम ग्रंथ 'आन्ध्र महाभारत', कन्नड़ का प्रथम ग्रंथ 'कविराज मार्ग' संस्कृतयुक्त भाषा में है। मलयालम में संस्कृत विभक्तियों का प्रयोग मिलता है। मलयालम की मणि प्रवाल शैली पूरी तरह संस्कृतनिष्ठ है। तेलुगू भाषा में 80 प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं। संस्कृत ने पूरे देश की भाषाओं को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। सभी भारतीय भाषाओं की जननी होने के कारण संस्कृत का एक नाम 'भारती' भी है।

विश्व का सबसे प्राचीन और समृद्ध साहित्य संस्कृत में है। यह न केवल भारत को एक सूत्र में पिरोता है, बल्कि पूरे विश्व को मानवता की शिक्षा देता है। संस्कृत साहित्य ही भारतीय संस्कृति का आधार है। भारतीय संस्कृति विश्व को एक परिवार के रूप में मानती है।

अयं निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम।
उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम।।

संस्कृत कवियों ने भारतीय एकात्मता को दर्शाया है। संस्कृत न केवल भारतीय ज्ञान–विज्ञान की भाषा है, अपितु भारत की आत्मा संस्कृत ग्रंथों में सन्निहित है। वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, धर्मग्रंथ, रामायण, महाभारत, नाट्यशास्त्र, दर्शनशास्त्र, योग सूत्र, कामसूत्र, अष्टाध्यायी आदि भारतीय ज्ञान मीमांसा के अनुपम ग्रंथ हैं। भारत की संस्कृतिक धरोहर आज से नहीं, हजारों वर्षों से अटूट चली आ रही है। सारे विश्व के दर्शनों में उपनिषद हमारी विचारधारा की चरम सीमा है। उपनिषदों से ही अन्य शास्त्रों की निष्पत्ति हुई। विश्व में सर्वाधिक स्वीकार्य गीता में उपनिषदों का ही सार है। भगवद्गीता मात्र सात सौ श्लोकों का ग्रंथ नहीं, अपितु मानव जाति का कल्याणक ग्रंथ है। आदि शंकराचार्य से लेकर आज तक जितने भी दार्शनिक और विचारक रहे हैं, सभी ने भगवद्गीता को आधार माना है।

संस्कृत की शक्ति से डरकर ही मैकाले ने इसे समाज से दूर करने का कुत्सित षड़यंत्र रचा और भारतीय उसमें फंस गए। आज देश में जिस प्रकार का वातावरण है, उसका मूल कारण अपनी मूल भाषा से दूर होना है। वैश्वीकरण की दुहाई देकर भले ही हम इससे मुंह मोड़ लें, परन्तु यह स्थिति समाज को देश की मिट्टी, परम्पराओं एवं मानबिन्दुओं से दूर ले जा रही है।

ईसाई धर्म प्रचारक शीघ्र ही समझ गए थे कि भारत में जब तक संस्कृत का प्रभाव रहेगा, तब तक ईसाई धर्म का काम नहीं किया जा सकता। ए.बी. डुबोया ने 1815 में अपना अनुभव लिखा है–'पिछले 30 वर्षों में हमने केवल 300 लोगों का ही धर्म परिवर्तन कराया है। यहां की शिक्षा व्यवस्था संस्कृत भाषा (अपनी मूल भाषा) में होने के कारण लोगों में अपने धर्म और परम्पराओं में दृढ़ आस्था है। जब तक पाश्चात्य भाषा में शिक्षा का प्रचार नहीं होगा, हिन्दुओं का धर्म बदलना कठिन है।'

यही ध्यान में रखकर मैकाले ने कहा था कि थोड़ी से अंग्रेजी से ही बंगाल में कोई मूर्ति पूजक नहीं रह जाएगा। ईसाई पादरी मैकाले की इस आशा से पूर्णरूप से सहमत थे। 1835 में डॉक्टर डफ ने घोषणा की थी कि 'जिस–जिस दिशा में अंग्रेजी शिक्षा प्रगति करेगी, उस–उस दिशा में हिन्दुत्व के अंग टूटते जाएंगे और धीरे–धीरे हिन्दुत्व का कोई भी अंग साबित नहीं रहेगा।'

शिक्षा के प्राचीनतम नालंदा, तक्षशिला, विक्रशिला जैसे विशालतम विश्वविद्यालय भारत में थे। पूरी दुनिया से ज्ञान पिपासु भारत आकर ज्ञान–क्षुधा शांत करते रहे। आज विश्व में विविध प्रकार के ज्ञान–विज्ञान की जो चमक दिखाई देती है, उसके बीज भारत से ही दुनियाभर में गए। इसीलिए भारत को विश्व का गुरू कहा जाता था। एक से नौ तक के अंक, शून्य और दशमलव पद्धति का ज्ञान आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के समय भारत में बहुत प्रचलित था। बौद्ध धर्म प्रचारकों के द्वारा यह ज्ञान चीन पहुंचा और बगदाद में इका प्रचार वर्ष 850 के लगभग पहुंचा।

बीज गणित का विकास भारत में हुआ। यहां से यूनान पहुंचा और अरब से होता हुआ यूरोप पहुंचा। अंग्रेजी में इस विद्या को अलजबरा कहा जाता है, जो अरबी शब्द अलजब्र है। ज्योतिष और गणित के प्राचीन आचार्यों में आर्यभट्ट ने ही विश्व को सबसे पहले ज्ञान दिया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने ही ग्रहण की भविष्यवाणी करने की विधि निकाली। आर्यभट्ट के बाद दूसरे आचार्य ब्रह्मगुप्त हुए, जिन्होंने भारत की ज्योतिष विद्या को संगठित रूप दिया।

आज विश्व के सभी शक्तिसम्पन्न देश अपनी भाषा के माध्यम से ही सिरमौर बने हैं। भाषा को खोने से केवल भाषा ही समाप्त नहीं होती, अपितु संस्कृति समाप्त हो जाती है। संस्कृति विहीन राष्ट्र प्राणहीन हो जाता है।

आज संस्कृत भाषा जिस स्थिति में है, उसकी तुलना में हिब्रू भाषा मृत थी। हिब्रू भाषा की तो कोई शब्दावली भी उपलब्ध नहीं थी। फिर भी यहूदियों ने हिब्रू भाषा को मृतप्राय भाषा से पुनर्जीवित कर उसे साहित्यिक और आम बोलचाल, व्यापार, चिकित्सा आदि व्यवहार की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। इजरायल में स्पष्ट सोच का परिणाम था कि उन्होंने अपनी भाषा हिब्रू में तकनीकी शब्दावली विकसित की। आज इजरायल स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में खड़ा है। क्या भारत में यह नहीं हो सकता? कब तक हम विदेशी भाषा को अपने जीवन का अंग मानते रहेगे? कब हम स्वाभिमान के साथ अपनी भाषा अपनाएंगे?

चारित्रिक गिरावट की पराकाष्ठा

हैदराबाद की एक युवा चिकित्सक की सामूहिक बलात्कार के बाद नृशंस हत्या की घटना पर पूरा देश उद्वेलित है। इसके अगले ही दिन राजस्थान के टोंक जिले में मासूम के साथ दरिंदगी हुई। अखबारों में ऐसी अमानवीय ज्यादतियों के समाचार प्रतिदिन पढ़ने को मिल रहे हैं। कुछ ही घटनाऐं अपवाद स्वरूप सड़क से संसद तक गूंजती हैं, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, संसद की बहस में दोषियों को सात दिन में फांसी, उनकी लिंचिंग (भीड़तंत्र द्वारा हत्या), कड़े कानून बनाने के सुझाव आते हैं। ठीक सात वर्ष पहले ऐसी ही घटना ने पूरे देश में गुस्से का उबाल ला दिया था। धरने, प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाले गए, पुलिस को नकारा बता गालियां दी गई, नेताओं के भाषण तथा संसद में चर्चा हुई। महिला सुरक्षा सम्बंधी कानून कड़े किये गए, कई राज्यों ने ऐसे दोषियों को मृत्युदण्ड देने के कानून भी बनाए। फास्ट ट्रेक कोर्ट तथा जांच के लिए एसआईटी भी बने। उल्लेखनीय है कि दिल्ली निर्भया

शेष भाग पृष्ठ क्र. 4 पर

पृष्ठ क्रमांक 2 का शेष भाग

हांगकांग को चीन को सौंप दिया गया था। क्योंकि वहां की राजनीतिक व्यवस्था चीन की साम्यवादी व्यवस्था से अलग है और ,खुली हुई है लेकिन अब चीन वहां भी नागरिक अधिकारों का हनन कर नया प्रत्यर्पण कानून लागू करने का प्रयास कर रहा है। जिससे हांगकांग में व्यक्तियों पर चीन में प्रत्यर्पण करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हांगकांग के निवासी इसका विरोध कर रहे हैं और चीन के खिलाफ लाखों युवा सप्ताह के अंत के में सड़कों पर उतर कर विरोध करते हैं। हांगकांग के छात्र नेताओं को ताइवान ने अपने देश में राजनीतिक शरण देने की पेशकश कर दी है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र समर्थक देशों का यह अनुमान है कि चीन 1989 की तरह उस लोकतंत्र विरोधी घटना को दोहरा सकता है जिसमें लोकतंत्र के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हजारों युवकों पर टैंक चढ़ा दिये गए थे।

चीन भारत के हितों के खिलाफ कोई भी मौका नहीं छोड़ता, चाहे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत की सदस्यता का मामला हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता का। कश्मीर में अनुच्छेद–370 के हटने के बाद पैदा स्थिति में चीन खुलकर सामने आ चुका है, इसलिए हमें भी स्थिति में अपना विरोध दर्ज कराना होगा। यह विरोध चीनी व्यापार पर आर्थिक चोट करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वर्तमान में चीन और अमेरिका का व्यापार युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कम्पनियों को चीन से अपना व्यापार और निर्माण इकाइयां समेटने का आदेश दे दिया है ताकि चीन को को सबक सिखाया जा सके। अगर अमेरिकी कम्पनियां वहां से अपना व्यापार समेट लेती हैं तो उनके लिए भारत में संयंत्र लगाना एक पसंदीदा स्थान हो सकता है। जिससे चीन को आर्थिक क्षति पहुंचेगी और भारत में रोजगार का अवसर बढ़ेगा।

एक छोटा सा कार्य भारत के नागरिक के रूप में चीनी सामानों का बहिष्कार करके कर सकते हैं। जब हम एक राष्ट्र के रूप में खड़े होंगे तब चीन की सरकार को झुका सकते हैं। चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा पिछले कुछ वर्षों में घटा है। हम इन प्रयासों से इसे निर्णायक रूप से कम कर सकते हैं तथा भारत को एक वैश्विक स्तर पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा कर सकते हैं।

भारत में आर्थिक विषयों पर चिंतन करने वाले संगठन स्वदेशी जागरण मंच ने देशभर में जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपने की मुहिम चलाई है। ताकि केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर में 12 से 14 अक्टूबर 2019 को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मिट में चीनी कंपनियों के निवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सके तथा उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सम्मिट में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जाए तथा साथ ही साथ उन भारतीय कम्पनियों को भी जम्मू–कश्मीर के क्षेत्र में निवेश की इजाजत न दी जाए जिनमें काफी मात्रा में चीनी निवेश किया हुआ है।

चीन की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। उसकी विकास दर भी घटती जा रही है। आर्थिक मंदी की आहट में चीन सहमा हुआ है। हांगकांग जैसे क्षेत्र में लोकतंत्र समर्थक आवाजें उठ रही हैं चीन की साम्यवादी व्यवस्था का विरोध उसके ही घर में होने लगा है। पड़ोसी ताइवान भी उसे आंखें दिखाने लगा है। ऐसे में भारत को मुखर होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हांगकांग जैसे मुद्दों पर चीन के विरोध में खड़ा होना ताकि चीन को साफ शब्दों में बताया जा सके कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते।

पृष्ठ क्रमांक 3 का शेष भाग

के दोषियों को घटना के सात साल बाद भी सजा नहीं मिली है। यह स्थिति जहां एक ओर देश की न्याय व्यवस्था की कमजोरियां उजागर करती है, वहीं इस तरह की घटनाओं का अबाध रूप से जारी रहना कानून–व्यवस्था व पुलिस तंत्र की प्रभावशीलता पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे कानून–व्यवस्था, पुलिस, जांच एजेंसियों, शासन–प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था में ठोस तथा प्रभावी सुधार कर अपराधों पर लगाम लगाए तथा बिना देरी के न्याय की व्यवस्था द्वारा अपराधियों के मन के कानून का डर भी पैदा करे, तभी आम जनता का शासन–प्रशासन में विश्वास लौटेगा।

अंग्रेजों के समय से चल रही शिक्षा, न्याय, पुलिस तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने समाज तथा परिवार संस्थाओं को नष्ट करने का काम किया है। वर्तमान न्याय प्रणाली ने नागरिक स्वतंत्रता के नाम पर ''लिव–इन रिलेशनशिप'', ''गे मेरिज'', विवाहेत्तर सम्बंधों को कानूनी जामा पहनाकर हमारे सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन मूल्यों पर बड़ा आघात किया है। सोशल मीडिया पर उपलब्ध अश्लील सामग्री ने युवा मन–मस्तिष्क को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

गम्भीरता से विचार करने पर कानून–व्यवस्था से कहीं अधिक इन घटनाओं का सरोकार व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर पर चरित्रहीनता तथा जीवनमूल्यों में गिरावट की पराकाष्ठा से है। पश्चिम का अंधानुकरण करते हुए आधुनिकीकरण तथा विकास के नाम पर हम अपने जीवनमूल्यों, नैतिकता तथा मानवीय संवेदनाओं को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। अन्यथा भारत की सांस्कृतिक विरासत में स्त्री को शक्तिस्वरूपा देवी के रूप में पूजने तथा पत्नि के अतिरिक्त सभी महिलाओं को माता, बहिन या पुत्री ही मानने की परम्परा रही है। मनुष्य जीवन के चार पुरूषार्थों में से हमने केवल और केवल अर्थ और काम को ही जीवन का लक्ष्य बना दिया है जबकि शास्त्रों ने पहला पुरूषार्थ धर्म को बताया है। धर्म का अर्थ कोई पूजा पद्धति न होकर शास्त्र सम्मत सदाचायारयुक्त जीवन जीने तथा अधार्मिक (आसुरी–राक्षसी) वृत्तियों से दूर रहना बताया है।

आवश्यकता है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत तथा मूल्य आधारित जीवन पद्धति को अपना कर परिवार तथा समाज संस्थाओं को पुनः मजबूत करें। याद रहे, चरित्रवान व्यक्तिगत जीवन तथा सामाजिक मर्यादाओं का सम्मान ही स्थाई सुख–शांति की गारन्टी है।

सूचना

कृपया आप अपना सुझाव महाकोशल संदेश के ई–मेल व्हाट्सअप नं. 9713223539 पर भेजें।

— **सम्पादक**

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा-
Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com